संख्या-15/2026/385/001-385-23-10-2026-E-1961733

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3398/सी/25-26 विनियोग लेखा/25-26 दिनांक 28.03.2026 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वितीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 में अनुरक्षण कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वितीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 राजस्व लेखा में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त प्रदेश के ग्रामीण मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 67.94 करोड (रुपये सड़सठ करोड़ चौरानबें लाख मात्र) को निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर पूर्व में रखी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त /निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	5	6	7
1	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य (3054-04-337-0332-29)	2700.00	2700.00	67.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वितीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनाक 27.03.2025 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

> " धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।"

(4) केवल स्वीकृत योजनाओं/मर्दा पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का का उपयोग अन्य मर्दा के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(5) उक्तानुसार निवर्तन पर रखी गयी धनाराशि का उपयोग केवल चालू कार्यों के लिए ही किया किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,94,00,000 (रुपये सड़सठ करोड़ चौरानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054043370332 प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

2- मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3- वित नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र०, लखनऊ ।
4- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
5- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2।
6- नियोजन अनुभाग-4।
7- लोक निर्माण अनुभाग-।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।